

राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/(विलो0)/वी-955/19/

दिनांक

आदेश

निम्नांकित नर्स-2 की राज्य सेवा मे रहते हुये मृत्यु हो जाने के कारण उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से राज्य सेवा से उनका नाम विलोपित किया जाता है।

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	मृत्यु तिथि	नाम विलोपित तिथि
1	श्री केलाश चन्द कुमावत	सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर	03 07 81	11 02.16	24 07.18	24 07 18
2	श्री रामनिवास	सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर	10 02 72	12 02 16	21 05 19	21 05 19

मृत्यु दिनांक तक इनके विरुद्ध -

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहिया विचाराधीन/ लंबित नहीं है।



(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं


राजस्थान जयपुर।

क्रमांक: ई-11/नर्सिंग/नर्स-2/(विलो0)/वी-955/19/627

दिनांक 08/07/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज0 जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन अजमेर।
4. प्रधानाचार्य, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय एवं नियंत्रक संलग्न चिकित्सालय, जयपुर को उनके पत्रांक 16355 दिनांक 17.06.19 के क्रम में।
5. अधीक्षक, सामूहिक चिकित्सालय संघ, अजमेर के पत्रांक 8846 दिनांक 18.06.2019 के क्रम में।
6. सम्बन्धित कार्मिक के आश्रित को द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
7. डीपीरी सैल (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय बेबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. आदेश पत्रावली।

  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं

राजस्थान जयपुर।